दिनाक 05.11.2020	
प्रेस विज्ञप्ति–05/20	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर किये गये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों/मैसेज/वीडियो आदि के सम्बन्ध में प्रदेश में (दिनांक 01.10.2020 से 31–10–2020 तक) की गयी कार्यवाही

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो ट्वीटर, व्हाट्एप्प, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर किये गये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों/मैसेज/ वीडियो आदि के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर किये गये आपत्तिजनक/ भ्रामक पोस्टों/मैसेज/वीडियो आदि के सम्बन्ध में माह अक्टूबर (दिनांक 01.10.2020 से 31.10. 2020 तक) में निम्न कार्यवाही की गयी :–

- आपत्तिजनक पोस्टों को रिपोर्ट कर हटवाया गया : – 27
- अफवाह/भ्रामक/आपत्तिजनक/साम्प्रदायिक सदभाव को प्रभावित करने वाली पोस्टों पर पंजीकृत अभियोगों की संख्या : – 74
- अन्य कारणों से पंजीकृत अभियोगों की संख्या : – 77
- इस प्रकार आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों/मैसेज/वीडियो आदि के सम्बन्ध में कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या : – 151

जनपद मेरठ/थाना कंकरखेडा

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा .315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, व 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04.11.2020 की रात्रि थाना कंकरखेडा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम लाला मोहम्मदपुर से हाई–वे की तरफ आ रहे मोटर साइकिल सवार बदमाशो को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशो द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी इमरान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, व 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में चोरी, हत्या का प्रयास, जालसाजी, आर्म्स एक्ट व गुण्डा एक्ट के 08 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना भावनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 489/2019 धारा 411/414/420/465 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कंकरखेडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इमरान निवासी साठफुटा, समर गार्डन थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 तमंचा .315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा .315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, व 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04/5.11.2020 की रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मेरठ की तरफ से आ रहे मोटर साइकिल सवार बदमाशो को रोकने का प्रयास किया गया तो, बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी फैसल अब्बास घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गये, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, व 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का टॉप–10 अपराधी है। जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तराखण्ड प्रांत व लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैगेस्टर एक्ट के 20 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 704/2020, व 755/2020, में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– फैसल अब्बास निवासी मौ0 द0 कृष्णापुरी थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 तमंचा .315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद हाथरस/थाना सहपऊ

- **लूट की घटना का अनावरण, 03 अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के 1 लाख 70 हजार रूपये नगद,**
- **3 अवैध तमंचे 315 बोर, 06 जीवित कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 05—11—2020 को थाना सहपऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सादाबाद जलेसर रोड गन्दा नाला के पास से 03 शातिर अभियुक्तो 1—अली हसन 2—तेजभान उर्फ हप्पू 3—मंजीत उर्फ विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 1 लाख 70 हजार रूपये नगद, 03 अवैध तमंचे 315 बोर, 06 जीवित कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना सहपऊ क्षेत्र में सेल्समैन से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना सहपऊ पर मु0अ0सं0 186/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल उक्त घटना से संबंधित है।

इस संबंध में थाना सहपऊ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— अली हसन निवासी ग्राम बढ़ार थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

2—तेजभान उर्फ हप्पू निवासी विनौरवा नगर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

3—मंजीत उर्फ विकास निवासी पट्टी बैरान ग्राम मढ़ाका थाना सहपऊ जनपद हाथरस।

बरामदगी

1—लूट के 1 लाख 70 हजार रूपये नगद,

2—03 अवैध तमंचे 315 बोर, 06 जीवित कारतूस

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल

जनपद गाजीपुर/थाना सैदपुर

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित कारतूस, बरामद**

दिनांक 05.11.2020 को थाना सैदपुर, थाना करण्डा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पियरी बाजार में तरॉव जाने वाले मोड के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी ऊदल उर्फ रुदल उर्फ विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित कारतूस (आला कत्ल) बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 523/2020 धारा 147/148/149/307/302/396/323/504/506/427/412 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— ऊदल उर्फ रुदल उर्फ विकास निवासी जमालपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

बरामदगीः—

1—01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना रिफाइनरी

- **लूट की घटना का अनावरण, 03 अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के सोने व चॉदी के आभूषण, 5265 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05—11—2020 को थाना रिफाइनरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 शातिर अभियुक्तो 1—भरत उर्फ विपिन उर्फ फ्लोवर 2—मुकेश 3—भानु उर्फ सचिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के सोने व चॉदी के आभूषण, 5265 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना रिफाइनरी क्षेत्र में दिनांक 26.10.2020 को अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना रिफाइनरी पर मु0अ0सं0 274/2020 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल उक्त घटना से संबंधित है।

इस संबंध में थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भरत उर्फ विपिन उर्फ फ्लोवर निवासी नगला गजू थाना राया जनपद मथुरा।

2–मुकेश निवासी नगला गजू थाना राया जनपद मथुरा।

3–भानु उर्फ सचिन निवासी अयेरा थाना राया जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–सोने व चॉदी के आभूषण, 5265 रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि।

जनपद इटावा/थाना सिविल लाइन

- **चोरी की घटना का अनावरण, 03 शातिर अपराधी गिरफ्तार**
- **लगभग 55 लाख रुपये कीमत के 12 ट्रैक्टर व फर्जी दस्तावेज आदि बरामद**

दिनांक 04/05–11–2020 की रात्रि थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कचौरा घाट के पास से 03 शातिर अभियुक्तो 1–जय किशन, 2–बब्लू, 3–आशीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के लगभग 55 लाख रुपये कीमत के 12 ट्रैक्टर व फर्जी दस्तावेज आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो चोरी के ट्रैक्टरो के इंजन नम्बर, व चेसिंस नम्बर बदल कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच देते है।

इस संबंध में थाना सिविल लाइन द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–जय किशन निवासी पक्काबाग सराय अर्जुन नगर थाना फ्रेन्डस कालोनी इटावा।

2–बब्लू निवासी पक्काबाग सराय अर्जुन नगर थाना फ्रेन्डस कालोनी इटावा।

3–आशीष निवासी पक्काबाग सराय अर्जुन नगर थाना फ्रेन्डस कालोनी इटावा।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 55 लाख रुपये कीमत के चोरी के 12 ट्रैक्टर व फर्जी दस्तावेज आदि।

<u>एसटीएफ– बेरोजगार युवक /युवतियों को विभिन्न सरकारी विभागों मे संविदा पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 06 अभियुक्त गिरफ्तार</u>

दिनांकः 04–11–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न सरकारी विभागों में पद व विभाग के अनुसार रू0 01 लाख से 15 लाख तक लेकर संविदा पर नौकरी दिलाने का झॉसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–</u>

1– सिद्धनाथ शाह पुत्र स्व0 चन्द्रिका प्रसाद निवासी ग्रा0 चैनपुर, पोस्ट शंकर पटखौली, थाना पटहेरवां, जनपद कुशीनगर। हाल पता सी–4114 से0 6 सपना कालोनी, राजाजीपुरम्, थाना तालकटोरा, जनपद लखनऊ।

2– धीरज कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 विशेश्वर दयाल मिश्रा, निवासी मोहल्ला रामनगर चरखारी, थाना चरखारी, जनपद महोबा। हाल पता एस–2, बी–09 बसेरा अपार्टमेंट, सेक्टर 8, अवध बिहार योजना, थाना पीजीआई, जनपद लखनऊ।

3– विकास प्रसाद उर्फ रोमी पुत्र स्व0 होली प्रसाद निवासी अहिरवां, थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर। हालपता ई–1252 निकट रूपम चौराहा, राजाजीपुरम् थाना तालकटोरा, जनपद लखनऊ।

4– जितेन्द्र कुमार सिंह पुत्र नवीन सिंह निवासी ग्रा0 बन्जरिया, थाना तरकोलवा, जनपद देवरिया। हाल पता मकान न0 16 न्यू नन्दी बिहार कालोनी, मल्हौर रोड, थाना चिनहट, जनपद लखनऊ।

5– दूधनाथ कुशवाहा पुत्र श्री घरभरन कुशवाहा निवासी ग्रा0 लाला गुरवलिया, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर। हाल पता गायत्री कालोनी से0 12 कृष्णानगर, थाना कृष्णानगर, जनपद लखनऊ।

6– राकेश कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री अशोक त्रिपाठी निवासी ग्रा0 खरिहानी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ। हाल पता डी– 4/329 विनीत खण्ड जनपद लखनऊ।
(डायरेक्टर बीएसएन इन्फोटेक कम्पनी)।

बरामदगी–

1. 01 अदद लैपटाप।
2. 09 अदद मोबाइल।
3. 05 अदद एटीएम कार्ड।
4. 01 अदद निर्वाचन कार्ड।
5. 02 अदद पैनकार्ड।
6. 45 अदद सीवी बेरोजगार युवक/युवतियों के
6. नकद रू 471460/(चार लाख एकहत्तर हजार चार सौ साठ)।
7. 01 अदद कार टाटा टियागो (यूपी–32, एलए–6002)।
8. 01 अदद कार टरेनो (यूपी–32, जीएफ–2552)।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दिनांकः 04.11.2020, स्थान– विपुलखण्ड लखनऊ, समयः 20:05 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी दिलाने का झॉसा देकर ठगी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सचूनाएं प्राप्त हो रही थीं, जिनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

इसी क्रम मे मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया। अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि विशाल प्रजापति निवासी राजाजीपुरम्, लखनऊ द्वारा थाना गोमती नगर, जनपद लखनऊ मे मु0अ0स0 870/2020 धारा 406/420/467/468/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया कि बीएसएन इन्फोटेक कम्पनी विपुल खण्ड–2 के माध्यम से सिद्धनाथ शाह व उसके गैंग के सदस्यों द्वारा सचिवालय मे समीक्षा अधिकारी के पद पर संविदा पर नौकरी दिलवाने के लिए 25000/ रू एडवांस मे लेकर 15 लाख रूपया मे व मेरे मित्र अनुराग यादव को अयोध्या नगर निगम मे संविदा पर नौकरी दिलवाने के लिए 10000/रू एडवांस मे लेकर 50000/रू मे नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ठगी की गयी है। उपरोक्त सूचना को अभिसूचना संकलन के माध्यम से विकसित करते हुए मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर दिनांक 04/11/2020 को समय करीब 20:05 बजे गैंग के सरगना सहित उपरोक्त अभियुक्तों को विपुलखण्ड जनपद लखनऊ से एसटीएफ व थाना गोमती नगर की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में उपरोक्त गिरफ्तार गैंग के सरगना सिद्धनाथ शाह ने बताया कि हम लोगों का एक संगठित गिरोह है। हम लोग बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न सरकारी विभागों मे संविदा पर पद के अनुसार 01 लाख रूपये से 15 लाख रूपये लेकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी कर रहे है। इस काम मे बेरोजगार युवक/युवतियों को समझा–बुझाकर रूपया देने के लिए राजी करने का काम मेरे साथ रोमी करता है। इसके बाद धीरज कुमार मिश्रा, जितेन्द्र कुमार व दूधनाथ कुशवाहा के साथ मिलकर राकेश कुमार त्रिपाठी डायरेक्टर बीएसएन इन्फोटेक कम्पनी जो आउट सोर्सिंग का काम करती है, से मीटिंग कराकर बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न सरकारी विभागों मे संविदा पर नौकरी दिलाने का विश्वास दिलाकर उनसे चतुर्थ श्रेणी के लिए रूपया पचास हजार से एक लाख, लिपिक संवर्ग/कम्प्युटर आपरेटर के लिए रूपया दो लाख से तीन लाख, सचिवालय मे समीक्षा अधिकारी के लिए रूपया पन्द्रह लाख मे बात करते है व टोकन मनी के रूप मे कुछ रूपया व उनके दस्तावेजों की एक प्रति लेकर उनको Whatsapp & Email के माध्यम से एक आवेदन पत्र भेजकर भरवाते है। इसके बाद उनका एक फर्जी इंटरव्यू संतोष सिंह, संचालक, बस्ती सिक्योरिटी, राजीव पटेल संचालक गोरखा इन्फोटेक कम्पनी व राकेश कुमार त्रिपाठी डायरेक्टर बीएसएन इन्फोटेक कम्पनी में कराते हैं। इसके कुछ दिन बाद आवेदकों को कूटरचित नियुक्ति पत्र दे देते है। ठगी से प्राप्त रूपया हम लोग आपस मे मिलकर बांट लेते हैं। जब बेरोजगार युवक/युवती नौकरी ज्वाइन करने पंहुचते है तो उनको वहां ज्वाइनिंग नही मिलती है। इस कारण वो अपना रूपया वापस मांगते हैं तो हम लोग उनको कुछ दिन मे नौकरी मिलने की बात कह कर टालते रहते है। अगर कोई आवेदक बार बार रूपया वापस मांगता है तो हम लोग उनको डरा धमका कर भगा देते हैं।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0स0 870/2020 धारा 406/420/467/468/504/506 भादवि में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत प्रदेश में अबतक की गयी कार्यवाही—

कोविड—19 के संक्रमण के दृष्टिगत भारत संरकार एवं उत्तर प्रदेश शाशन द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुपालन के क्रम में वर्तमान में कन्टेनमेन्ट जोन की संख्या— 8 हजार 969 है।

धारा 188 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोगो की संख्या— 2 लाख 36 हजार 555

आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 के उल्लंघन पर कुल 956 अभियोग पंजीकृत किये गये।

चेक किये गये वाहनो की संख्या— 1 करोड़ 99 लाख 80 हजार 518

जनपद बुलन्दशहर/थाना अगौता (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश पाक्सो तृतीय बुलन्दशहर द्वारा थाना अगौता पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376 भादवि व पाक्सो एक्ट में अभियुक्त संजीव उर्फ सन्जू, को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।